भुगतान में देरी से एसएमई परेशान

सभी प्रमुख सेक्टरों की तरफ से मांग में आई कमी मुख्य वजह

प्रशांत श्रीवास्तव • नई दिल्ली

मांग में आ रही कमी का असर छोटे और मझोले कारोबारियों को भुगतान पर पड़ने लगा है। कारोबारियों को बड़ी कंपनियों से ऑर्डर के एवज में मिलने वाले भुगतान में 40-45 दिनों तक की देरी हो रही है। सरकारी नियमों के मुताबिक कंपनियों द्वारा अधिकतम 45 दिनों के अंदर एमएसएमई को उनका भुगतान किया जाना है। हालांकि, कारोबारियों के अनुसार फिलहाल भुगतान की अवधि 90 दिनों तक पहुंच गई है। कई कारोबारियों को इस संबंध में बड़ी कंपनियों ने पत्र लिख कर भी सूचित किया है कि उनको भुगतान में देरी होगी।

फरीदाबाद स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजीव चावला के अनुसार अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती का असर कारोबार पर पड़ने लगा है। सभी प्रमुख सेक्टरों की तरफ से मांग में कमी देखी जा रही है। इसका असर एसएमई को मिलने वाले भुगतान पर भी पड़ रहा है। एमएसएमईडी एक्ट-2006 के तहत 45 दिनों के भीतर भुगतान का प्रावधान है। हालांकि, अभी जो स्थिति है उससे भुगतान 60-90 दिनों में हो रहा है। इसका असर कंपनियों की निवेश योजनाओं और कच्चे माल के भुगतान पर भी पड़ रहा है।

हरियाणा चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी ए.एल.अग्रवाल के अनुसार भुगतान में देरी प्रमुख रूप से राज्य विद्युत बोर्ड, राज्यों के निगम, ऑटो इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मशीन एंड टूल्स इंडस्ट्री की ओर से हो रही है। नियमों के मुताबिक कंपनियों द्वारा एसएमई को भुगतान अधिकतम 45 दिनों में करना है, लेकिन अभी यह अवधि 80-90 दिनों तक पहुंच गई है। मंडीगोविंदगढ़ स्थित स्टील कंपनी आर.के.इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर रमेश गोयल ने बताया, 'भुगतान में हमें 20-30 दिनों की देरी हो रही है। भुगतान में देरी का असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। मांग में कमी की वजह से पूरी भुगतान प्रक्रिया पर असर हुआ है।'

केंद्र सरकार के एमएसएमईडी एक्ट-2006 के प्रावधान के अनुसार कंपनियों को छोटे और मझोले उपक्रमों से की गई खरीदारी का भुगतान 45 दिनों में करना होता है। हालांकि, बड़ी कंपनियां मांग गिरने पर कारोबारियों को भुगतान में देरी करने लगती हैं।

एसएमई कारोबारियों के अनुसार वे इस मामले में ज्यादा विरोध इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इससे उनको नए ऑर्डर मिलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के महासचिव अनिल भारद्वाज के अनुसार भुगतान में देरी की स्थिति फिलहाल वर्ष 2008 जैसी नहीं है। मालूम हो कि उस समय सभी कंपनियों ने भुगतान में देरी की थी।

क्या है सरकारी नियम

कंपनियों द्वारा अधिकतम 45 दिनों के अंदर एमएसएमई को उनका भुगतान किया जाना है

मौजूदा हालात

छोटे व मझोले कारोबारियों के अनुसार फिलहाल भुगतान की अवधि बढ़कर हो गई है 90 दिनों तक